निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

नि0न0 47/अपील/20

तारिख दायरः 25.09.2020

मजीद खां आ0 हमीद खां जाति मुसलमान नि0 साल की डूगंरी तहसील असनावर(अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये क्षेत्रिय वन अधिकारी असनावर (रेस्पो0)

अपील बनाराजगी फेसला सहायक वन सरंक्षक झालावाड़/पिडावा दिनांक 26.12.2017
मिसल न0 171/17

उपस्थितः– श्री देवेन्द्र व्यास अभिभाषक अपीलान्ट

–: निर्णय :– **दिनांकः 06.10.2020**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन सरंक्षक झालावाड़ के आदेश दिनांक 26.12.2017 जो मिसल न0 171/असनावर/17 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को वनखण्ड मानकुण्ड की ग्राम सालकीडूगरी की आराजी ख0न0 316 रकबा 03 बीघा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर रू0 300/– शास्ति एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्र संग्रह सार तथा कानून के विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है अपीलान्ट का आराजी पर कब्जा नही है व सम्पूर्ण जुर्माना जमा करवा दिया गया है तथा भविष्य में भी कब्जा नही करेगा। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील को निरस्त फरमाया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पेरोकार वन विभाग उपस्थित नही।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्ठी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायायलय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी पर से पूर्व में ही कब्जा छोड दिया गया है. अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। पेरोकार वन विभाग के उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में स्पष्ट है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा फर्द दस्तावेज के साथ कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी,असनावर द्वारा जारी कब्जा छोडने बाबत सहायक वन सरंक्षक झालावाड़ को लिखे गये पत्र 714 दिनांक 29.09.2020 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई । इससे प्रतीत होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया है। वर्तमान मे अपीलान्ट जेल में कुछ दिन से सजा भी भुगत रहा है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट कुछ राहत पाने का पात्र हैं। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे वादग्रस्त आराजी से बेदखली व शास्ति को यथावत रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन सरंक्षक झालावाड़ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के कब्जे बाबत जॉच करवायें यदि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी से वर्तमान में अपना कब्जा हटा लिया गया हो तो अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा में से भुगती हुई सजा के अलावा शेष सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अन्दर 15 योम की अवधि में 20000/– रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वंय का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वंय अतिक्रमण करेगा और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगा। यदि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर स्वंय का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नही होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2020 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़